न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 180/2024(GCMS : 2024/262)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 22 पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मैसर्स पहाड़ी पैकर्स,** पता जी–1–9 उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर
2. **श्रीमती नीलम अग्रवाल** पत्नी श्री मनोज अग्रवाल पता मकान नं. 142, रामबाग रोड़, बाजार नम्बर–1, फिरोजपुर कैंट, पंजाब–152001
3. **श्रीमती नंदिनी गोयल** पत्नी श्री रविंद्र गोयल पता एम–15, आनन्द विहार, श्रीगंगानगर, राज–335001
4. **श्री गोपाल चंद अग्रवाल** पुत्र श्री भागीरथ अग्रवाल पता 370 बी ब्लॉक, अशोक नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर, राज–335001
5. **श्री भागीरथ अग्रवाल** पुत्र श्री गोरधन दास पता 370 बी ब्लॉक, अशोक नगर, मीरा चौक के पास, श्रीगंगानगर, राज–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स पहाडी पैकर्स, नीलम अग्रवाल, नंदिनी गोयल, गोपाल चंद अग्रवाल, भागीरथ अग्रवाल को ऋण सुविधा के रूप में 90.00 lac/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 25.06.2024 को 82,86,292/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मैसर्स पहाड़ी पैकर्स–प्रो. नीलम अग्रवाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति औद्योगिक भवन जी–1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है।** [illegible] रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, [illegible] 1553, पृष्ठ संख्या [illegible] क्रमांक 202203103102082 दिनांकित 25.02.2022 के विधिवत अतिरिक्त पुस्तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:00 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

संख्या 1, खंड संख्या 3703 पृष्ठ संख्या 106 से 114 तक पंजीकृत किया गया है। (चतुः सीमाऐं : उत्तर में प्लॉट नम्बर जी–1–8, दक्षिण में प्लाट नम्बर जी–1–10, पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लाट नम्बर जी–1–12) एवं चल सम्पत्ति दृष्टि बंधक और मशीनरी की परिकल्पना जी 1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स पहाडी पैकर्स, नीलम अग्रवाल, नंदिनी गोयल, गोपाल चंद अग्रवाल, भागीरथ अग्रवाल को ऋण सुविधा के रूप में 60.00/– लाख रूपये का Term Loan एवं 30.00/– लाख रूपये का Cash Credit, कुल 90.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये नब्बे लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 31.03.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स पहाड़ी पैकर्स–प्रो. नीलम अग्रवाल ने अपनी अचल सम्पत्ति औद्योगिक भवन जी–1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। विक्रय विलेख उप–रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1553, पृष्ठ संख्या 162, क्रमांक 202203103102082 दिनांकित 25.02.2022 के विधिवत अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3703 पृष्ठ संख्या 106 से 114 तक पंजीकृत किया गया है। (चतुः सीमाऐं : उत्तर में प्लॉट नम्बर जी–1–8, दक्षिण में प्लॉट नम्बर जी–1–10, पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लाट नम्बर जी–1–12) एवं चल सम्पत्ति दृष्टि बंधक और मशीनरी की परिकल्पना जी 1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 25.06.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस तामील नहीं हुए है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी मैसर्स पहाड़ी पैकर्स–प्रो. नीलम अग्रवाल की अचल सम्पत्ति औद्योगिक भवन जी–1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। विक्रय विलेख उप–रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1553, पृष्ठ संख्या 162, क्रमांक 202203103102082 दिनांकित 25.02.2022 के विधिवत अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3703 पृष्ठ संख्या 106 से 114 तक पंजीकृत किया गया है। (चतुः सीमाऐं : उत्तर में प्लाट नम्बर जी–1–8, दक्षिण में प्लाट नम्बर जी–1–10, पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लाट नम्बर जी–1–12) एवं चल सम्पत्ति दृष्टि बंधक और मशीनरी की परिकल्पना जी 1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 11.07.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.07.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.07.2024 को ही भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति की रसीद/ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस विधिक रूप से प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर दिनांक 01.08.2024 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों प्रशांत ज्योति एवं टाईम्प डे में दिनांक 02.08.2024 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स पहाड़ी पैकर्स – प्रो. नीलम अग्रवाल द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जाता है और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स पहाड़ी पैकर्स–प्रो. नीलम अग्रवाल **द्वारा प्रार्थी बैंक/ कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति औद्योगिक भवन जी–1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। विक्रय विलेख उप–रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1553, पृष्ठ संख्या 162, क्रमांक 202203103102082 दिनांकित 25.02.2022 के विधिवत अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3703 पृष्ठ संख्या 106 से 114 तक पंजीकृत किया गया है। (चतुः सीमाऐं : उत्तर में प्लॉट नम्बर जी–1–8, दक्षिण में प्लाट नम्बर जी–1–10, पूर्व में सड़क, पश्चिम में प्लाट नम्बर जी–1–12) एवं चल सम्पत्ति दृष्टि बंधक और मशीनरी की परिकल्पना जी 1–9, उद्योग विहार, चरण 1, रीको, श्रीगंगानगर (राज.) है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तामील नतीजा दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15—[illegible]—2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:00 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट

श्रीगंगानगर